FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराईं (अजमेर)

- रचना पत्नी रामकिशन जाति जाट आयु बालिग निवासी गाम मारला तहसील अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य
  –प्रार्थीगण

बनाम

- रामप्रसाद पुत्र रामधन जाति भांभी आयु बालिग निवासी ग्राम मारला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।
  –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 49/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ 58

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा — वकील अप्रार्थीगण........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/06/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज .... की ओर से जवाब रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/11/24 को पेश हो।	

3.9.25 — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 अनु०। नोटिस-आदेश [illegible] तामीला पर्याप्त मानी गई किन्तु प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 10.9.25 को पेश हो। WP

10.9.25. — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील [illegible] किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17.9.25 को पेश हो। WP

17.9.25. — पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली पर निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नजारत में दाखिल हो। WP

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2024 उनवान रचना बनाम रामप्रसाद वगैरहः

1. रचना पत्नि रामकिशन जाति जाट
2. सुन्दर पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति जाट
3. स्याणी पत्नि रामरतन जाति जाट
4. सायर पत्नि रामनारायण जाति जाट
5. मन्जूदेवी पत्नि माधूप्रसाद जाति ब्राह्मण
6. सीमादेवी पत्नि बजरंगलाल जाति ब्राह्मण
7. जीतराम पुत्र तेजूराम जाति जाट
8. पूजा जाट पुत्री नारायण जाति जाट
9. बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति जाट
10. मुकेश पुत्र तेजूराम जाति जाट
11. मथरा पत्नि स्व. नारायण जाति जाट
12. महराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
13. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
14. रामधन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
15. सैंतोष पुत्री तेजूराम जाति जाट
16 सुमित्रा पत्नि तेजूराम जाति जाट
17 हनुमान पुत्र तेजूराम जाति जाट
18 हरिकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
19 नाबालिग अनीता पुत्री नारायण संरक्षक मथरा जाति जाट
20 नाबालिग नितेश जाट पुत्र नारायण संरक्षक मथरा जाति जाट
21. नाबालिग सोनू जाट पुत्री नारायण संरक्षक मथरा जाति जाट
22. निर्मला पुत्री बलराम जाति जाट
23. प्रदीप पुत्र बलराम जाति जाट
24 प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
25. मनीषा पुत्री बलराम जाति जाट
26. रामप्यारी पत्नि बलराम जाति जाट
27. हरिराम पुत्र बलराम जाति जाट

सर्वनिवासी ग्राम भारला तहसील अराँई जिला अजमेर राजस्थान.

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र रामधन जाति भाबी
2. काना पुत्र कालू जाति कुम्हार (प्रजापति)
3. मंगल पुत्र कालू जाति कुम्हार (प्रजापति)
4 गीता पत्नि छोटूलाल जाति ब्राह्मण
5. बजरंगलाल पुत्र छोटूलाल जाति ब्राह्मण
6. माधोप्रसाद पुत्र छोटूलाल जाति ब्राह्मण

सर्वनिवासी ग्राम भारला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान.

7 कमला पत्नि रघुनाथ जाति जाट

WD

उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

8 सोनी पत्नि बन्ना जाति जाट
9 मन्ना देवी पत्नि बढी लाल जाति जाट
10 हरिराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
सर्वनिवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
11. ग्राम पंचायत देवपुरी, सरपंच / प्रशासक
12 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय अराई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 17/9/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 21.6.2024 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी राजस्व ग्राम भारला पटवार हल्का देवपुरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 113 पुराना 115 के खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684/73 रकबा 0. 0566 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 261 पुराना 113 के खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 262 पुराना 113 के खसरा संख्या 683/73 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 686/73 रकबा 0. 0647 हेक्टेयर, है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के सासरा नम्बर 676/73, 684/73, 679/73, 681/73, 685/73,683/73.686/73 के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण (चारों दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार अराई को दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 25.06.2022 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदार सन्तुष्ट नहीं हुये है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 676/73, 684/73, 679/73, 681/73, 685/73, 683/73, 686/73 की भूमि की पत्थर गढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यया प्रार्थीगण एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढ़ी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गढ़ीं किया गया आवश्यक है।प्रार्थीगण 01 से 04 के आराजी खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर निर्बाध रूप से

अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण 01 से 27 के आराजी खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा सख्या 684/73 रकबा 0.0566 हैक्टेयर निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्तकरते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण 07 से 21 के आराजी खसरा संख्या 683/73 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 686/73 रकबा 00647 हेक्टेवर निर्वाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह बाह जोत करते है एवं फसल बुवाई एवं कटाई करते है तब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है तब से प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि की चारो सीमाओं से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 12 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं में ग्राम भारला तहसील अरांई में स्थित होने से श्रीमान् को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम भारला पटवार हल्का देवपुरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 113 पुराना 115 के खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684/73 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 261 पुराना 113 के खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर, सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

पत्रावली बाद तलबी दिनांक 22.8.2025 को पेश हुई । तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या पर अप्रार्थी संख्या 1 से 10 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 3.9.2025 को इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । दिनांक 10.9.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गढ़ीं किया गया आवश्यक है।प्रार्थीगण 01 से 04 के आराजी खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण 01 से 27 के आराजी खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा सख्या 684/73 रकबा 0.0566 हैक्टेयर निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्तकरते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण 07 से 21 के आराजी खसरा संख्या 683/73 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 686/73 रकबा 00647 हेक्टेवर निर्वाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह बाह जोत करते है एवं फसल बुवाई एवं कटाई करते है तब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है तब से प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि की चारो सीमाओं से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 12 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम भारला पटवार हल्का देवपुरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 113 पुराना 115 के खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684/73 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 261 पुराना 113 के खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर, सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भारला पटवार हल्का देवपुरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दादिया, तहसील अराई, जिला अजमेर जिसके खाता संख्या नया 113 पुराना 115 के खसरा संख्या 676/73 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 684/73 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 261 पुराना 113 के खसरा संख्या 679/73 रकबा 0.5015 हैक्टेयर, खसरा संख्या 681/73 रकबा 0.4581 हैक्टेयर, खसरा संख्या 685/73 रकबा 0.0487 हैक्टेयर, का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

(9:46 चउ, 3/9/2025) च्चंः 1.